झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

एच.ई.सी., सेक्टर–2, धुर्वा, राँची

अल्पकालीन निविदा सूचना

आगामी लोक सभा आम चुनाव 2014 के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–52/2/Prep/2013-EMS दिनांक–29/08/2013 द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा ई0वी0एम0 में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित विशिष्टियों (Specification) से युक्त एक लाख तीस हजार स्पेशल टैग की आपूर्ति हेतु किसी राज्य में निबंधित एवं प्रतिष्ठित संस्था से दिनांक 22/02/2014 के अप0 2.00 (दो) बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सभी निविदाओं को उसी दिन अप0 3.00 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा:–

Specification of Special Tag

1. Size of Special Tag : 7.5 cms x 5.5 cms
2. Each special tag must have a specific serial number printed upon it.
3. Thickness of Special Tag: Post-card thickness
4. There shall be a hole with a metal ring to pass thread for sealing on the right corner of front side. Further, on the right hand side, a groove will be cut in the tag to fit with the door knob of Result compartment.
5. There shall be an opening in the middle so that when this Tag is fixed in the "CLOSE" button compartment of the Result Section, the "CLOSE" button should be visible so that button can be reached to operate it without disturbing the Tag.

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार हैं :–

1. निविदा के साथ निविदादाता को रु. 1,000/– (एक हजार रुपये) मात्र का अप्रत्यर्पणीय बैंक ड्राफ्ट निविदा शुल्क के रूप में तथा रु. 20,000/– (बीस हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के पदनाम से तथा राँची में भुगतेय हो, अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

2. निविदा दो लिफाफों में (तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के रूप में) समर्पित की जाएगी तथा लिफाफे के ऊपर तकनीकी बीड/वित्तीय बीड अवश्य अंकित किया जाएगा। तकनीकी बीड में निविदा की शर्तों से सम्बन्धित कागजात, अनुभव सम्बन्धी प्रमाण तथा वित्तीय बीड में सामग्री का नाम एवं दर होगा। दर में सभी प्रकार के कर शामिल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आपूर्ति किये जाने वाले स्पेशल टैग का नमूना भी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

3. निविदादाता को निविदा के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र, अद्यतन आयकर/बिक्रीकर (VAT) का स्वच्छता (Clearance) प्रमाणपत्र (सत्यापित) समर्पित करना अनिवार्य होगा।

4. निविदादाता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। इस हेतु पिछले दो वर्ष का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम दस लाख रु0 वांछनीय है।

5. विभागीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर पर अधिकतम बीस दिनों के अन्दर आपूर्ति का निष्पादन निविदादाता को करना होगा। अनुमोदित विशिष्टियों/गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति स–समय नहीं करने पर निविदादाता के विरुद्ध अग्रधन की राशि जब्त करते हुए Blacklisting की कार्रवाई की जायेगी।

6. निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनका फर्म कभी भी केन्द्र अथवा राज्य सरकार में काली सूची में दर्ज नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार का Cartel or Consortium मान्य नहीं होगा।

7. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(पी. के. जाजोरिया)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी –सह– प्रधान सचिव